संख्या– 906 / 1–11–2017–7(जी) / 2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2017

विषयः–बाढ़ राहत एवं प्रबन्धन में जिलाधिकारियों की भूमिका

महोदय,

आप अवगत है कि वर्ष 2017 में अब तक 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तथा नेपाल में संभावित भारी वर्षा के कारण बाढ़ एवं जलप्लावन की स्थिति गंभीर होने की आशंका है। वर्णित परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में बाढ़ प्रबन्धन एवं राहत वितरण का कार्य तत्परता से किया जाय तथा जिला स्तर पर 24 x 7 घंटे सर्तकता बरती जाय। इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या–900 / 1–11–2017–8(जी) / 2017, दिनॉक 11.08.2017 द्वारा रेखांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए तथा समस्त जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारियों की टीम बनाते हुए मौके पर त्वरित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2– उक्त के क्रम में पुनः निम्नवत् बिन्दुओं को रेखांकित किया जा रहा है, जिनके संबंध में प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी हैः–

2.1– सिंचाई विभाग से सम्पर्क स्थापित कर नेपाल तथा भारत में स्थित बैराज से पानी छोड़े जाने की स्थिति, वर्षा की विद्यमान तथा संभावित स्थिति, तटबन्धों की समीक्षा एवं नदियों के जल स्तर के संबंध में अन्य स्रोतों से भी सूचना प्राप्त करते हुए समस्त एहतियाती कार्यवाही समय पर सुनिश्चित कर ली जाय।

2.2– बचाव कार्य हेतु यथा–आवश्यकता एन0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 तथा अपरिहार्य परिस्थिति में सेना की भी सहायता ली जाय।

2.3– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों एवं नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा जिलाधिकारी द्वारा नावों के डिप्लायमेंट की सघन समीक्षा की जाय।

2.4– बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बाढ़ चौकियां 24 x 7 घंटे क्रियाशील रहें तथा संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। प्रभावित व्यक्तियों के लिए जो राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं, उनमें समस्त विभागों से समन्वय करते हुए खाद्य–पदार्थ, पेयजल, प्रकाश, दवाईयों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। महामारियों को फैलने से रोकना महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदार माना जायेगा।

2.5– इसी प्रकार पशु शिविरों में पशुओं के टीकाकरण, औषधि, भूसा तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरन्तर पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इनकी सम्यक व्यवस्था हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

2.6– जिन क्षेत्रों में जलप्लावन की स्थिति बन रही है, वहां के निवासियों को राजस्व/पुलिस/पी0ए0सी0/एन0डी0आर0एफ0 तथा स्थानीय मल्लाहों की सहायता से तत्काल ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित पक्के भवनों में विस्थापित करते हुए राहत केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

2.7– जो गांव या बस्तियां जल–भराव के कारण कट गयी हैं, वहां नावों के माध्यम से खाद्य–पदार्थ, औषधियां, क्लोरीन टैबलेट (पानी में नियत मात्रा के अनुपात के साथ विधि बताते हुए), मिट्टी का तेल आदि आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जायें।

2.8– किसी भी जनहानि, पशुहानि तथा संक्रामक रोग को रोकने हेतु ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके सतत् निगरानी रखते हुए प्रभावी प्रयास किए जायें।

2.9– बाढ़ प्रभावित जनपदों में संवेदनशील सम्पर्क मार्ग तथा पुलों की सुरक्षा/मरम्मत हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदार माना जायेगा तथा ससमय सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं। सड़क के कटने अथवा डूब जाने पर पूर्व चिन्हित वैकल्पिक मार्गों से यातायात संचालित किया जाय और इन मार्गों को दुरूस्त रखा जाय।

2.10–प्रायः सिंचाई विभाग के तटबन्धों पर विस्थापित निर्धन व्यक्तियों के द्वारा शरण ली जाती है और वहां पर अस्थायी झोंपड़ियां बनाई जाती हैं। उक्त निमित्त तारपोलीन/शीट आदि की व्यवस्था करते हुए ऐसे तटबन्धों पर भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए वहां सुचारू रूप से सभी अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। ऐसे तटबन्धों की सुरक्षा के लिए तथा एडवान्स वार्निंग हेतु सिचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को जिम्मेदार माना जायेगा।

2.11–तहसील स्तर पर राहत कार्य एवं राहत केन्द्र/शिविर के संचालन के लिए उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार जिम्मेदार होंगे, जिनकी सहायता के लिए पुलिस, परिवहन तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को तैनात किया जायेगा।

2.12– नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, जल निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय तथा विभिन्न विभागों तथा स्वयंसेवी सस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। विशेषकर जिला चिकित्सालय को दुरूस्त रखा जाए।

3. जनपद के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत न किया जाय तथा बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाय। सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय तथा उनकी क्षेत्र में उपलब्धता और गतिशीलता की मानिटरिंग की जाय।

4. राहत कार्यों हेतु पर्याप्त बजट शासन स्तर पर उपलब्ध है तथा जिलाधिकारियों की मांग पर राहत कार्यो हेतु धनराशि तत्काल उपलब्ध करायी जा रही है। आकस्मिक परिस्थितियों में जिलाधिकारी टी0आर0–27 के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरित कर वितरित कर सकते हैं। शासन स्तर पर वॉछित धनराशि का प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि, पशुहानि तथा आवास क्षति हेतु अविलम्ब राहत की धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित व्यक्ति को उपलब्ध कराते हुए इस संबंध में दैनिक रिपोर्ट भी प्रेषित की जाय।

5. जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम 24 x 7 घंटे संचालित किया जाय तथा जनपद की सूचनाऐं लखनऊ में स्थापित राहत कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर (0522–2237515, फैक्स–2238084) तथा राहत के मेल rahat@nic.in पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उर्पयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– राहत आयुक्त कार्यालय।
4– राजस्व अनुभाग–10
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवीदास)
विशेष सचिव।